

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

स्ववित्तीय मद में सीधी भर्ती से पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्र. 10/2023) दिनांक 22/02/2023

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में स्ववित्तीय मद में सीधी भर्ती से भरने हेतु पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

1. प्रोग्रामर – 01 पद (वेतन मैट्रीक्स लेवल – 12) एकल पद – UR  
ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ तिथि 24/02/2023 को मध्याह्न 12:00 बजे से  
ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 14/03/2023 रात्रि 11:59 बजे तक  
अभिक्षमता परीक्षा की तिथि 24/03/2023 दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक -  
नोट : 1. अभिक्षमता परीक्षा की तिथि में परिवर्तन सम्भव है।

2. आवेदन की हार्डकॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। साक्षात्कार में शामिल होने की स्थिति में अभ्यर्थी को आवेदन में भरे हुए समस्त प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

आवेदन-पत्र का प्रारूप, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य समस्त जानकारी विश्वविद्यालय के वेबसाइट [www.pssou.ac.in](http://www.pssou.ac.in) पर उपलब्ध है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Mr. कुसुमसिंह

## (क) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता

**प्रोग्रामर (Programmer)**

अनिवार्य न्यूनतम योग्यता :-

1. (क) कम्प्यूटर साइंस में एम.टेक. की उपाधि न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी (ग्रेड)।

अथवा

- (ख) कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी (ग्रेड) के साथ संबंधित क्षेत्र में 02 वर्ष का कार्य अनुभव।

## (ख) सामान्य नियम एवं शर्तें

1. स्व वित्तिय मद से सीधी भर्ती के पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम अनिवार्य अर्हता योग्यताओं में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यू.जी.सी. एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित अंक प्रतिशतों में छूट विश्वविद्यालय द्वारा दिया जा सकता है। यह छूट केवल अर्हतादायी परीक्षा के प्रतिशत में रह सकती है। यह अभिक्षमता परीक्षा या साक्षात्कार के अंक में लागू नहीं रहेगा।
  2. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं/निगम/मंडल/विश्वविद्यालय आदि में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा।
  3. शासन द्वारा निर्धारित आयु सीमा से कम आयु में विवाह करने या पति/पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करने वाले उम्मीदवार छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
  4. इस विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जिनकी किसी आरोप के कारण सेवा समाप्त की गई है, वे किसी भी पद के लिये अर्ह नहीं होंगे।
  5. आवेदन विश्वविद्यालय के वेबसाइट [www.pssou.ac.in](http://www.pssou.ac.in) पर ऑनलाइन माध्यम से भरना होगा।
  6. शुल्क :- शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किया जायेगा। भुगतान में किसी भी प्रकार की असफलता के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।  
अभिक्षमता परीक्षण शुल्क :- रु. 500/-  
आवेदन शुल्क रु. :- 500/- कुल :- रु. 1000/-
- नोट :-** छत्तीसगढ़ के बेरोजगार अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क रु. 500/- की छूट रहेगी।
7. उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 24/02/2023 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 14/03/2023 रात्रि 11:59 बजे तक [www.pssou.ac.in](http://www.pssou.ac.in) पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किए जा सकेंगे।

8. अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण आवेदन-पत्र स्वतः निरस्त माने जायेंगे। निरस्त आवेदन पत्रों के लिए पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
9. किसी भी प्रकार से सिफारिश करने/कराने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. अभिक्षमता परीक्षण :- अभ्यर्थी में आवेदित पद के कार्यों/कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक अभियोग्यता/अभिक्षमता होनी चाहिए। जिसके मापन हेतु अभिक्षमता परीक्षा ली जायेगी। प्रोग्रामर पद पर कार्य करने की अभिक्षमता के मापन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र एवं OMR के आधार पर डेढ़ घण्टे की परीक्षा ली जायेगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 50 रहेगा।
11. चयन प्रक्रिया प्रोग्रामर पद हेतु :- अभिक्षमता परीक्षण के अंक (अधिकतम 50) + मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यानुभव का अंक (अधिकतम 10) + साक्षात्कार का अंक (अधिकतम 40), इस प्रकार कुल 100 अंक के आधार पर मेरिट तैयार किया जायेगा तदनुसार नियुक्ति की जायेगी।
12. साक्षात्कार :-साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए आवेदनों की स्क्रीनिंग और अभ्यर्थियों की चयन सूची के संबंध में स्क्रीनिंग कमेटी का निर्णय अंतिम होगा। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित संख्या में लिखित अभिक्षमता परीक्षण में प्राप्तांक के आधार पर उच्चतर प्राप्तांक पाने वाले प्रत्येक पद हेतु 15-15 अभ्यर्थियों को बुलाया जायेगा (सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में नहीं बुलाया जायेगा) तथा उन्ही 15 अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन फार्म की हार्ड कॉपी के साथ आवेदन फार्म में उल्लेखित योग्यता/अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर साक्षात्कार के पूर्व विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। जिसकी स्क्रीनिंग के पश्चात् अर्हता पूर्ण करने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित किया जायेगा। अर्हता पूर्ण न करने वाले साक्षात्कार हेतु पात्र नहीं होंगे।

नोट :-

1. अभिक्षमता परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान तथा प्रवेश पत्र हेतु अभ्यर्थी निरन्तर विश्वविद्यालय के वेबसाइट [www.pssou.ac.in](http://www.pssou.ac.in) चेक करते रहें। इसके लिए अलग से पत्र नहीं भेजा जाएगा।
2. साक्षात्कार हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों को ईमेल के माध्यम से बुलाया/पत्र भेजा जायेगा। अतः अभ्यर्थी अपना ईमेल चेक करते रहें।
3. अभिक्षमता परीक्षण के प्राप्तांक को चयन प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् ही प्रकट किया जा सकेगा। अंतिम परीणाम जारी होने के पूर्व प्राप्तांक को प्रकट नहीं किया जायेगा।
13. महत्वपूर्ण टीप :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी

भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त मानी जायेगी एवं चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। **साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही विश्वविद्यालय पात्रता शर्तों की जांच करेगा। नियुक्ति के पश्चात् कोई सारवान/महत्वपूर्ण जानकारी छुपाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।**

14. विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ है। अतः नियुक्ति पश्चात् कार्यस्थल विश्वविद्यालय मुख्यालय अथवा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों (जगदलपुर, कांकेर, रायपुर, दुर्ग, जशपुर, अम्बिकापुर एवं बिलासपुर) में होगा।
15. नवनियुक्त कर्मचारियों को पेंशन या सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ की पात्रता विश्वविद्यालय के नियमानुसार होगी।
16. परिवीक्षा अवधि :- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा के साथ-साथ क्रमशः प्रथम वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत वेतन प्राप्त होगा परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे। वेतन एवं अन्य भत्ते वित्त निर्देश 21/2020, वित्त विभाग छ.ग. शासन के पत्र क्रमांक 372/260/वि./नि./चार/2020 नवा रायपुर दिनांक 29/07/2020 के अनुसार या अद्यतन नियमों के अनुसार देय होगा।
17. **साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना :-** साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।
  - (i) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूची।
  - (ii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र यथा-डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी उपाधि/अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।
  - (iii) **जाति प्रमाण पत्र :-**
    - (अ) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन

कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- (ब) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।
- (स) अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमिलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमिलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमिलेयर के अंतर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।
- (iv) **नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र :-**
- (अ) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हो अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हो या राष्ट्रीकृत/अंतरराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हो तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" सीधे विश्वविद्यालय को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।
- (ब) यदि ऐसे अभ्यर्थी जो विश्वविद्यालय द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।
- (स) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**18. आपराधिक अभियोजन :-**

- (अ) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो :-
- (i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या
- (ii) पररूप धारण (इम्पर्सोनेशन) किया हो, या
- (iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या
- (iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हो जिनमें फेरबदल किया हो, या

- (v) चयन के किसी भी स्तर पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
  - (vi) परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
  - (vii) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
  - (viii) परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
  - (ix) प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्हीं भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या
  - (x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
  - (xi) विश्वविद्यालय के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।
- (ब) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी—
- (i) विश्वविद्यालय द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या
  - (ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा—
- (अ) विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।
- (ब) विश्वविद्यालय द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि—
- (i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
  - (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।
19. किसी भी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से संबंधित प्राप्तांको की सूची तभी जारी की जाएगी, जब संबंधित विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पदों हेतु अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाए।
20. विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी/संशोधन आदि का प्रकाशन विश्वविद्यालय की वेबसाइट में जारी/प्रकाशित किया जाता है। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विश्वविद्यालय के वेबसाइट/पोर्टल कस सतत् अवलोकन करते रहें। विश्वविद्यालय उपरोक्तानुसार प्रकाशित किये जाने वाले संशोधन/जानकारी की पृथक सूचना व्यक्तिशः जारी नहीं करेगा।

21. दावा आपत्ति निराकरण के बाद संशोधित मॉडल उत्तर को अंतिम चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ही विश्वविद्यालय के वेबसाइट में जारी किया जाएगा।

22. विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें / महत्वपूर्ण निर्देश / जानकारी आदि का निर्वाचन (Interpretation) :-

इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश / जानकारी आदि के निर्वाचन का अधिकार विश्वविद्यालय का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा। किसी भी समय नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया को स्थगित करने, निरस्त करने एवं अन्य शर्तें विहित करने तथा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार माननीय कुलपति, पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर का होगा, जो पूर्णतः बन्धनकारी होगा।

कुलसचिव